न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0–1, उन्नाव।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1449/2026

UPUN010034532026

1– अविनाश सिंह पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह निवासी पड़रौना रोड, कस्बा व थाना कसयां जनपद कुशीनगर.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव।

..... अभियोजक।

अ0सं0–232/2026
धारा–317(2),317(4),317(5)बी0एन0एस0
थाना–अजगैन, जिला– उन्नाव।

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त अविनाश सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं0–232/2026,धारा–317(2), 317(4), 317(5) बी0एन0एस0 थाना–अजगैन, जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन कृष्णा कुमार सिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि शपथी पैरोकार मुकदमा है। शपथी को इस वाद की पूर्ण जानकारी है। शपथी ने जमानत प्रार्थना–पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दिया है और न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा का फिज व ए०सी० लदा वाहन संख्या–एन0एल–01 ए०एच०–7041 ड्राइवर से अज्ञात लोगो द्वारा मारपीट कर छीन लेना कहा जाता है।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किए गए है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है प्रार्थी द्वारा उक्त घटना कारित नही की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त घटना से कोई वास्ता व सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त को स्थानीय थाना पुलिस उसके घर से पकड़ लायी और फर्जी तथ्यों पर आधारित मुकदमें में चालान कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त रोशनी इलेक्ट्रानिक कुशीनगर का मालिक है तथा सम्भ्रान्त परिवार से कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अभियुक्त राजू से 44 फिज खरीदा जाना कहा गया है जिसमें से 32 फिज की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के गोदाम से बरामदगी दिखायी गयी है। उक्त घ ाटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त काकोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही आपराधिक प्रवृत्ति का है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद न तो कहीं भागेगा और न ही गवाहान सबूतों पर बेजा असर डालेगा। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा और न ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करेगा। अतः प्रार्थना है,

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 14:20:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि ता–फैसला मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथ पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि अभियुक्त अविनाश सिंह के ऊपर चोरी का माल कम दाम पर खरीदने का आरोप लगाया गया है और 32 फ्रिज की बरामदगी अभियुक्त के कथित गोदाम से होना बताया गया है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के ऊपर अभ्यासतः चोरी का माल खरीदने एवं बेचने का कोई आपराधिक इतिहास थाने की आख्या के अनुसार नहीं पाया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अविनाश सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1449/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 40,000 (चालिस हजार) रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

<u>दिनांक–10.06.2026</u>

(महेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0–1, उन्नाव।
JO CODE-UP01776